है, पेश की। इसी प्रकार प्रार्थी का वास्तविक नाम केसर पत्नी नाजू खां एवं केसर दत्तक पुत्र नाजू खां के स्थान पर केसू खां पुत्र नाजू खां हेतु साक्ष्य स्वरूप आधार कार्ड संख्या 2037 1732 1290, परिवार राशन कार्ड नम्बर 200005015057 तथा प्रार्थी का पहचान पत्र संख्या RJ/02/192/342405, एवं प्रार्थी के एस.बी.आई. बैंक के बचत खाता संख्या 38224408209 की छाया प्रति प्रदर्श पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा जानवास के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 17 एवं मौजा गुजरियावास के खाता संख्या 31 की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम केसू खां पुत्र नाजू खां के स्थान पर केसर पत्नी नाजू खां एवं केसर दत्तक पुत्र नाजू खां दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा जानवास के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 17 एवं मौजा गुजरियावास के खाता संख्या 31 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम केसू खां पुत्र नाजू खां के स्थान पर केसर पत्नी नाजू खां एवं केसर दत्तक पुत्र नाजू खां भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा जानवास के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 1215 रकबा 2.4362 हैक्टेयर तथा मौजा गुजरियावास के खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 1100 रकबा 4.5729 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा जानवास के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 1215 रकबा 2.4362 हैक्टेयर, में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम केसर पत्नी नाजू खां हिस्सा पूण जाति गौरी मुसलमान सा. देह खातेदार के स्थान पर केसू खां पुत्र नाजू खां हिस्सा पूण जाति गौरी मुसलमान सा. देह खातेदार एवं मौजा गुजरियावास के खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 1100 रकबा 4.5729 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम केसर दत्तक पुत्र नाजू खां हिस्सा पूण जाति गौरी मुसलमान सा. जानवास खातेदार के स्थान पर केसू खां पुत्र नाजू खां हिस्सा पूण जाति गौरी मुसलमान सा. जानवास खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 30/08/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. जायल

Scanned with CamScanner